न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार याद, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या –96/2016(1/89)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार		स्व0 मांगीलाल पुत्र बद्रीदास कौम साद के विधिक उत्तराधिकारी– 1. चुकादेवी पत्नी मांगीलाल 2. लीलावती पुत्री मांगीलाल 3. हरिकृष्ण पुत्र मांगीलाल 4. जीवण पुत्री मांगीलाल 5. जयदेव पुत्र मांगीलाल 6. भीमसेन पुत्र मांगीलाल समस्त जाति साद निवासीगण खाटूखुर्द तहसील डीडवाना

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।

निर्णय **दिनांक : 26-8-19**

राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत ग्राम खाटू खुर्द के खसरा नम्बर 810/1 रकबा 75 बीघा मांगीलाल के पक्ष में नियम विरूद्ध आवंटन किया और आवंटन पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के आरोप में आवंटन निरस्त करने बाबत उपखण्ड अधिकारी डीडवाना की रिपोर्ट पर सुवोमोटो राजस्व मामला संख्या 01/89 बउनवान सरकार बनाम स्व0 मांगीलाल के उत्तराधिकारी दर्ज किया गया। उक्त नियम विरूद्ध आवंटन को क्यों नहीं निरस्त किया जाने बाबत कारण बताओं नोटिस दिया गया। दौराने कार्यवाही आवंटी मांगीलाल का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लिये जाकर तलबी की गई। श्रीमती लीलावती की और से वकील श्री भंवरलाल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। श्री भंवरलाल सारस्वत ने स्व0 मांगीलाल के दीगर उत्तराधिकारियों की ओर से वकलातनामा पेश करने बाबत अनेक बार इकरार किया। वकालतनामा व जबाब पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गय। श्री भंवरलाल सारस्वत द्वारा जबाब व वकालतनामा पेश नहीं करने पर मामले के तथ्यों पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर व प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय सुनवाई कर उक्त प्रकरण राजस्व मामला संख्या 01/89 में दिनांक 25.2.1997 को आदेश पारित कर ग्राम खाटू खुर्द में मांगीलाल के नाम पर खसरा नम्बर 810 रकबा 75 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार डीडवाना को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लेने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 25.2.1997 के विरूद्ध स्व0 मांगीलाल के उत्तराधिकारीगण हरिकृष्ण वगैरह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके सन्दर्भ में राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपील संख्या 22/2014 बउनवान हरिकृष्ण वगैरह बनाम जिलाधीश नागौर वगैरह दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 05.06.2015 में "विचारण न्यायालय में अपीलान्ट हरीकृष्ण वगैरह की पर्याप्त तामील नहीं हुई एवं न ही उनको सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ। विचारण न्यायालय में आवंटन की मूल पत्रावली भी नहीं मंगाई, केवल एक पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि पत्रावली नहीं मिल रही है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली नहीं मिलने एवं इस स्थिति का निर्णय करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका उल्लेख भी किसी आदेशिका में नहीं किया है" अंकित करते हुए अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 01/1989 में पारित आदेश दिनांक 25.02.1997 को निरस्त करते हुऐ प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 05.06.2015 के सन्दर्भ में आदेशिका दिनांक 3.10.2016 अनुसार प्रकरण पुनः राजस्व मामला संख्या 96/2016 दर्ज रजिस्टर किया गया, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को मौजा खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 810/1 रकबा 75 बीघा का दिनांक 23.10.73 को श्री मांगीलाल को आवंटन की मूल पत्रावली भिजवाने हेतु बार–बार लिखा गया। उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने अपने पत्रांक–राजस्व/2017/404 दिनांक 10.4.17 से उक्त मूल रिकार्ड के संबंध में अवगत कराया कि

Scanned by CamScanner

उक्त रेकार्ड को इस कार्यालय में तलाश किया गया तथा उपलब्ध नहीं होने पर समस्त कर्मचारियों की टीम का गठन कर उक्त रिकार्ड को अपनी–अपनी शाखाओं में तलाश करने हेतु कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। उक्त रिकार्ड कार्यालय में तलाश के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया, जिस पर पुनः उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पुनः तलाशी कर मूल रिकार्ड भिजवाने हेतु लिखा गया, बार–बार लिखे जाने पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने पुनः अपने पत्रांक–391 दिनांक 10.07.19 से उक्त रेकार्ड को इस कार्यालय में तलाश किया गया तथा उपलब्ध नहीं होने पर समस्त कर्मचारियों की टीम का गठन कर उक्त रिकार्ड को अपनी–अपनी शाखाओं में तलाश करने हेतु कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। उक्त रिकार्ड कार्यालय में तलाश के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। इस पर प्रकरण वास्ते जबाब अप्रार्थीगण हेतु नियत किया गया एवं अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि अप्राथी स्व0 मांगीलाल बोनाफाईड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। अप्रार्थी को आवंटन की अधिकतम सीमा 10 एकड़ रकबा तक सिमित होते हुऐ भी सीमा से अधिक भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटित रकबे पर कब्जा बतौर कास्त नहीं करके नियम 14(3) का उल्लघंन किया किये जाने का कथन करते हुऐ आवंटन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ने अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया कि स्वर्गीय मांगीलाल को ग्राम खाटू खुर्द के खसरा नम्बर 810/1 रकबा 75 बीघा किस्म बारानी अलीफ भूमि का आवंटन परामर्शदात्री समिति डीडवाना द्वारा दिनांक 23.10.1973 को आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद से इस 75 बीघा भूमि पर मांगीलाल का कब्जा काश्त निरन्तर रहा है तथा मांगीलाल की मृत्यू के पश्चात उनके उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार और निरन्तर रहता रहा है तथा उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा है व अप्रार्थीगण के कब्जे में है। न्यायालय के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को आवंटनसुदा भूमि को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, वह कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से नहीं की जा सकती।

वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण और उनके पिता के द्वारा कभी भी काश्त नहीं किये जाने की पटवारी, आरआई और तहसीलदार की रिपोर्ट पूर्णतया गलत व झूठी व मौके के विरूद्ध है। अप्रार्थीगण और उनके पिता खसरा नम्बर 810/1 की 75 बीघा भूमि का समय–समय पर काश्त कर रहे है तथा आज दिन भी कर रहे है। राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। यदि काश्त का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नहीं किया जाता है तो ऐसा करके पटवारी ने अप्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय किया है। पटवारी की गलती का अथवा उसके द्वारा जानबूझकर ऐसा किया गया है, तो उसकी सजा अप्रार्थीगण को नहीं दी जा सकती।

अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर किया गया था। अप्रार्थीगण के पिता राजस्थान के मूल निवासी थे और सदभावी काश्तकार थे। आवंटन से पूर्व परामर्शदात्री समिति में इन सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच कर अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन का पात्र होना मानकर भूमि आवंटित की थी। पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण के पिता के द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष में सम्पूर्ण 75 बीघा भूमि को काश्त किया गया था और दूसरे वर्ष भी पूरी भूमि को काश्त किया गया था। तत्पश्चात समय समय पर इस भूमि को काश्त किया जाता रहा है।

आवंटनसुदा भूमि में अप्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज हो गई थी। एक बार खातेदारी प्राप्त होने के बाद खातेदारी अधिकारों को नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता। किसी की खातेदारी की भूमि को काश्त नहीं करने व लगान अदा नहीं करने के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। अन्यथा पिछले 30 सालों से लगान सरकार द्वारा माफ किया गया है। आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि अप्रार्थीगण के पास नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता आवंटन के समय भूमिहीन काश्तकार थे।

आवंटन के 10 साल के भीतर ही न्यायालय द्वारा आवंटन रद्द किया जा सकता था। नियम 14(4) की समय सीमा लागू होती है। आवंटन के 30 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। कानून की यह कभी भी मंशा नहीं रही है कि अनिश्चित काल तक आवंटन को निरस्त किया जा सकता हो। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा कपट से अथवा मिथ्याव्यपदेशन से आवंटन नहीं करवाया था। आंवटन सम्पूर्ण कानून विहित प्रकिया अपनाकर किये जाने का कथन करते हुऐ

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2008(1) पेज 610–613, डी.एन.जे. 2011(2) पेज 709–711, आर.आर.डी. अक्टू.2007 पेज 728–733, आर.आर.डी. मार्च.2006 पेज 135–140, आर.आर.डी. 2009 पेज 99–101 एवं आर.आर.डी. 2009 पेज 748–750 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकुलाय बहस का मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन एंव अध्ययन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अप्रार्थी मांगीलाल को मौजा खाटू खुर्द के खसरा नम्बर 810/1 रकबा 75 बीघा बारानी अलीफ भूमि का दिनांक 23.10.1973 को किया गया आंवटन इस आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा आंवटन वर्ष के आगामी दो वर्षो में काश्त नहीं करके आंवटन नियमों का उल्लंघन किया है, अतः आंवटन निरस्त किया जावे। प्रार्थी आंवटन संबंधी मूल पत्रावली भी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है।

समस्त प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करने, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का अध्ययन करने तथा अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि लगभग 45 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त आंवटन केवल कपटपूर्वक तरीके से अथवा मिथ्या पूर्ण तथ्यों के आधार पर आंवटित कराया गया हो, तभी निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में न तो ऐसा कोई आरोप है न ही तथ्य या रिकॉर्ड से ऐसा प्रमाणित होता है। इसलिए केवल प्रथम दो वर्षो में काश्त नहीं करने के आधार पर, जो भी अस्पष्ट है, 45 वर्ष बाद आंवटन निरस्त करना समस्त न्यायिक दृष्टांतों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना व तहसीलदार डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner